<u>MOST URGENT</u> VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI PWD SECRETARIAT: 3RD FLOOR, MSO BUILDING, I.T.O., I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F.11(37) PWD-II/VSQ/Un-St. Que.38/Bud. Sess./22/2303-2304 Dated: 22/03/222

To

The Dy. Secretary, Question Branch, Delhi Legislative Assembly, Question Branch, Old Secretariat, New Delhi- 110054.

Sub: -Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 38 raised by Sh. Jitender Mahajan, Hon'ble MLA during Budget Session 2022 due for 24.03.2022.

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q.B) Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F. 11(B-1) V1/2020-25/VSS/Question Branch/2885 dated 14/03/2021 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

Dy. Secretary (PWD/VS)

F.11(37)/PWD-II/VSQ/Un-St. Que.38/Bud. Sess./22/ 2303 Gove Dated: 201/03 202 Delhi Secret Dated: 201/03 202

 OSD to Hon'ble Minister (PWD), 6th Level, A-Wing, Delhi Sectt. New Delhi.



विभाग का नामः लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार विभाग का पताः तीसरा तल, ए–विंग, एम.एस.ओ बिल्डिंग, आई.टी.ओ. इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्याः 38 दिनांकः 24.03.2022 प्रश्नकर्ता का नामः श्री जितेन्द्र महाजन क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगें किः

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
क)	वजीराबाद रोड पर मंडोली श्मशान घाट पर प्रस्तावित अंडरपास बनाने हेतु दिल्लीसरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी को कितना बजट दिया गया था;	अंडरपास बनाने हेतु Administrative Approval & Expenditure Sanction रू0 4.50 करोड़ दिनांक 09.08.2016 को प्राप्त हुई है।
ख)	आज तक कितना बजट उसमें से खर्च किया गया है;	शून्य ।
ग)	कार्य को शूरू करने की तिथि तथा कार्य को समाप्त करने की क्या तिथि थी;	दिल्ली जल बोर्ड की पाइप लाइन शिफ्ट न होने के कारण टेन्डर प्रकिया पूर्ण नही हुई है।
घ)	आज तक अंडरपास का कार्य पूरा नहीं किये जाने के क्या कारण है; और	अंडरपास की एलाइनमेंट में दिल्ली जल बोर्ड की गहरी सीवर पाइप लाइन होने के कारण कार्य नहीं हुआ है।
ड.)	क्या कार्य को पूरा करने की कोई नई सीमा तय की गई है, पूर्ण जानकारी दी जाए?	दिल्ली जल बोर्ड की सीवर पाइप लाइन शिफ्ट होने के उपरान्त ही कार्य की नई सीमा तय की जाएगी।

यह उत्तर माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

Ally 22/3/22 उप-सचिव (लोक निर्माण विभाग)

ASHIST TIDIAR Deputy Secretary (Admn.) Public Works Department Govt. of NCT of Delhi Delhi Secretariat, N. Delhi